न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— अमित कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:— 69 / प्रा0पत्र / 2020

1. गोरू उर्फ गोरीशंकर आयु 70 वर्ष आ0 कल्याण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. गेपाल आयु 42 वर्ष आ0 भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. सूर्यप्रकाश आयु 31 वर्ष आ0 भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. गायत्री आयु 38 वर्ष पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. दुर्गाबाई आयु 60 वर्ष पत्नी स्व0 भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेश आयु 50 वर्ष आ0 छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. किशनचन्द्र आयु 48 वर्ष आ0 छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. प्रहलाद आयु 44 वर्ष आ0 छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. महावीर आयु 40 वर्ष आ0 छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. छोटीबाई आयु 80वर्ष पत्नी स्व0 आ0 छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा0 हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :— 111, 118, 128 एल0आर0एक्ट

वकील प्रार्थीगण :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :— श्री कपिल सैनी, मुकेश जोशी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

निर्णय दिनांक :— 13 / 07 / 2022

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सख्या 2994 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा 2991 / 1 रकबा 13 बिस्वा, 2992 / 1 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्ग्रम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता / पति भंवरलाल आ0 नाथू की खातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

दर्ज खातेदार भंवरलाल का देहांत हो गया है प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 उनके वारिस है। कृषि भूमि खसरा संख्या 2995 रकबा 3 बीघा, 2991 रकबा 12 बिस्वा, 2992 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्रम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित हो प्रार्थी संख्या 1 गौरू उर्फ गोरीशंकर की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा संख्या 2979 रकबा 18 बिस्वा, 2988 रकबा 17 बिस्वा, 2989 रकबा 1 बिस्वा, 2990 रकबा 1 बीघा, 2991/2 रकबा 13 बिस्वा, 2992/2 रकबा 9 बिस्वा कुला किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो अप्रार्थीगण के पिता/पति छोटूलाल आ0 कल्याण की खातेदारी में दर्ज है खातेदार छोटूलाल की मृत्यु हो चुकी है अप्रार्थीगण उनके वारिस है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमियों का खाता खामलाती था जो नाथू, छोटूलाल, गौरू पिता कल्याण की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 1825 दिनांक 15.07. 2015 से विभाजन होकर खाता पृथक-पृथक कायम किया जा चुका है लेकिन अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमियों की मेडो को तोडते हैं, पानी के धोरो को नष्ट करते हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद पैदा करते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमियों की सीमाऍं मिली हुई है और कुछ खेतो के बंटवारे में टुकडे भी किये गये है लेकिन मौके पर सीमाबंदी बाबत कोई मुश्तकिम निशान मौजूद नहीं है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की आवारा जानवरों से फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के पक्की बाउन्डरी/तार पेंसिंग करना चाहते है और उक्त कार्य करने के पूर्व अपनी भूमि की पत्थर गढी करवा कर ही करना चाहते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार से है तथा पक्षकारों में आपसी स्नेह व प्रेमभाव बना रहे ऐसी स्थिति में भी अपनी भूमि पर पक्की दीवार/तारपेसिंग करवाने से पूर्व प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की मौजूदगी में प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करवाकर ही सुरक्षा दीवार करना चाहते है ताकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, साथ ही दोनों पक्षों भी अपनी-अपनी भूमि की सीमाओं की भी जानकारी हो सके। अप्रार्थीगण आये दिन अपनी भूमि की सीमा को प्रार्थीगण के खेतों की तरफ बढाते रहते हैं और मना करने पर झगडा करने का प्रयास करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की मौजूदगी में भूमि की पत्थरगढी करवाकर अनावश्यक विवाद से बचना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से पत्थरगढी करवाने का निवेदन दिसम्बर 2020 में किया लेकिन उन्होंने प्रार्थीगण के निवेदन पर कोई गौर नहीं किया इस कारण प्रार्थीगण श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने पूर्व में उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन पेश किया था लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर सीमाज्ञान नहीं हासे सका इसलिए भी पत्थरगढी करवाने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के खातेदार है जिनको अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से लेण्ड रेवेन्यु एक्ट धारा 111, 118, 128 के तहत श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2994, 2991/1, 2992/1, व 2995, 2991, 2992 वाके ग्राम बडौदिया की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है जो कि सयुक्त रूप से निवास करते चले आ रहे थे व सयुक्त रूप से कृषि कार्य कर रहे थे। सयुक्त परिवार की कृषि आय से प्रार्थीगण सयुक्त आय से आज से 10 से 11 वर्षो पूर्व प्रार्थीगण व उनके वारिसानों द्वारा उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर मकान का निर्माण किया गया। जिसमें अप्राथीगण का हित निहित है प्रार्थीगण द्वारा पत्थर गढी करवाने से पूर्व उक्त मकान के हित बाबत निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को उपजाउ बनाने हेतु खाडे नाडे भरवाने हेतु राशि भी व्यय की गई । वादग्रस्त भूमि के संबंध में पत्थरगढी बाबत आदेश प्रदान किया जाता है तो प्रथमतया खेत खाली होने पर प्रथमतया राजस्व अधिकारियों की उपस्थितिया में सीमाज्ञान प्रार्थीगण के खर्चे पर बिना विवाद के करवाया जाकर ही करवाया जावे। अतः जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे व प्रार्थीगण को कोई विवाद आदि करने बाबत पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से विवादित भूमि की मौका जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है, जो शामिल मिसल है।

हमने वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने उसकी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया, जो खारीज किये जाने योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुन कर पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। वादग्रस्त सम्पदा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसकी प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 2994, 2991/1, 2992/1, 2995, 2991, 2992 वाके ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, हिण्डोली नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा कर दोनों पक्षकारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में भूमि की पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)